

प्रेषक

रिवाइजिंग अथॉरिटी नगर परिषद एवं  
जिला राजस्व अधिकारी, रेवाडी।

सेवा में

उपायुक्त, रेवाडी।

क्रमांक

/रीडर

दिनांक

विषय:- रिवाइजिंग अथॉरिटी के समक्ष प्रस्तुत एतराजों बारे रिपोर्ट (प्रोफोर्म-क)।

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के आदेश पृ0क्रमांक 399-05/चुनाव/2002/स्थानीय दिनांक 22.02.2018 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषय में अद्योहस्ताक्षरी को वार्ड नं0 5,6,7,12,19 व 20 का रिवाइजिंग अथॉरिटी नियुक्त किया गया था। निर्धारित अवधी में कुल 334 एतराज (प्रोफोर्म-क) में प्राप्त हुये

जिनका निम्न अनुसार निपटान किया गया:-

क्र0 स0	प्रार्थी का नाम व पता सर्व श्री/श्रीमति	एतराज	निपटान	स्वीकृत/ अस्वीकृत
1	रामकुमार पुत्र प्रभाती लाल निवासी अर्जुन नगर	एतराज किया गया है कि उसका वोट वार्ड नं0 5 में दर्ज है जिसे वार्ड नं0 4 में किया जाये।	बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार एतराजकर्ता वार्ड नं0 4 का निवासी है। उसका वोट वार्ड नं0 5 की जगह 4 में किया जाये। बी0एल0 ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार एतराजकर्ता की वोट वार्ड नं0 4 में स्थानान्तरित किया जाये।	स्वीकृत
2	बिमला पत्नि रामकुमार निवासी अर्जुन नगर	एतराज किया गया है कि उसका वोट वार्ड नं0 5 में दर्ज है जिसे वार्ड नं0 4 में किया जाये।	बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार एतराजकर्ता वार्ड नं0 4 का निवासी है। उसका वोट वार्ड नं0 5 की जगह 4 में किया जाये। बी0एल0 ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार एतराजकर्ता की वोट वार्ड नं0 4 में स्थानान्तरित किया जाये।	स्वीकृत
3	अमर पाल पुत्र रामकुमार निवासी अर्जुन नगर	एतराज किया गया है कि उसका वोट वार्ड नं0 5 में दर्ज है जिसे वार्ड नं0 4 में किया जाये।	बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार एतराजकर्ता वार्ड नं0 4 का निवासी है। उसका वोट वार्ड नं0 5 की जगह 4 में किया जाये। बी0एल0 ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार एतराजकर्ता की वोट वार्ड नं0 4 में स्थानान्तरित किया जाये।	स्वीकृत
4	बिना पत्नि अमरपाल निवासी अर्जुन नगर	एतराज किया गया है कि उसका वोट वार्ड नं0 5 में दर्ज है जिसे वार्ड नं0 4 में किया जाये।	बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार एतराजकर्ता वार्ड नं0 4 का निवासी है। उसका वोट वार्ड नं0 5 की जगह 4 में किया जाये। बी0एल0 ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार एतराजकर्ता की वोट वार्ड नं0 4 में स्थानान्तरित किया जाये।	स्वीकृत
5	तेजराम पुत्र रामकुमार निवासी अर्जुननगर	एतराज किया गया है कि उसका वोट वार्ड नं0 5 में दर्ज है जिसे वार्ड नं0 4 में किया जाये।	बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार एतराजकर्ता वार्ड नं0 4 का निवासी है। उसका वोट वार्ड नं0 5 की जगह 4 में किया जाये। बी0एल0 ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार एतराजकर्ता की वोट वार्ड नं0 4 में स्थानान्तरित किया जाये।	स्वीकृत









































































	पिवरा की ढाणी	12 में किया जाये।	नगर प्ररिषद मतदाता सूची में नहीं है इसलिये प्रार्थी का दावा अस्वीकृत किया जाता है।	
327	रामस्वरूप पुत्र चुन्नीलाल निवासी पिवरा की ढाणी	एतराज किया गया है कि उसका वोट वार्ड नं० 20 में दर्ज है जिसे वार्ड नं० 12 में किया जाये।	बी०एल०ओ० की रिपोर्ट के अनुसार एतराजकर्ता वार्ड नं० 12 का निवासी है। उसका वोट वार्ड नं० 20 की जगह 12 में किया जाये। बी०एल० ओ० की रिपोर्ट के अनुसार एतराजकर्ता की वोट वार्ड नं० 12 में स्थानान्तरित किया जाये।	स्वीकृत
328	रमेश पत्नि नवल निवासी पिवरा की ढाणी	एतराज किया गया है कि उसका वोट वार्ड नं० 20 में दर्ज है जिसे वार्ड नं० 12 में किया जाये।	बी०एल०ओ० की रिपोर्ट के अनुसार एतराजकर्ता वार्ड नं० 12 का निवासी है। उसका वोट वार्ड नं० 20 की जगह 12 में किया जाये। बी०एल० ओ० की रिपोर्ट के अनुसार एतराजकर्ता की वोट वार्ड नं० 12 में स्थानान्तरित किया जाये।	स्वीकृत
329	नवल किशोर पुत्र शिश राम निवासी पिवरा की ढाणी	एतराज किया गया है कि उसका वोट वार्ड नं० 12 में दर्ज किया जाये।	बी०एल०ओ० की रिपोर्ट के अनुसार एतराजकर्ता वार्ड नं० 12 का निवासी है। उसका वोट वार्ड नं० 20 की जगह 12 में किया जाये। बी०एल० ओ० की रिपोर्ट के अनुसार एतराजकर्ता की वोट वार्ड नं० 12 में स्थानान्तरित किया जाये।	स्वीकृत
330	सीता राम पुत्र भगवान दास निवासी पिवरा की ढाणी	एतराज किया गया है कि उसका वोट वार्ड नं० 12 दर्ज में किया जाये।	प्रार्थीया अपना नाम वार्ड नं० 12 से 20 में बदलवाना चाहती है लेकिन प्रार्थीया का नाम नगर प्ररिषद मतदाता सूची में नहीं है इसलिये प्रार्थी का दावा अस्वीकृत किया जाता है।	अस्वीकृत
331	सोना देवी पत्नि भगवान दास निवासी पिवरा की ढाणी	एतराज किया गया है कि उसका वोट वार्ड नं० 20 में दर्ज है जिसे वार्ड नं० 12 में किया जाये।	प्रार्थीया अपना नाम वार्ड नं० 12 से 20 में बदलवाना चाहती है लेकिन प्रार्थीया का नाम नगर प्ररिषद मतदाता सूची में नहीं है इसलिये प्रार्थी का दावा अस्वीकृत किया जाता है।	अस्वीकृत
332	ब्रहमा पत्नि राम कंवर निवासी पिवरा की ढाणी	एतराज किया गया है कि उसका वोट वार्ड नं० 12 में दर्ज किया जाये।	प्रार्थीया वार्ड नं० 12 की निवासी है इसलिये उसका नाम वार्ड नं० 12 में जोडने की स्वीकृति प्रदान की जाती है	स्वीकृत
333	राम कंवर पुत्र रामल निवासी पिवरा की ढाणी	एतराज किया गया है कि उसका वोट वार्ड नं० 12 में दर्ज किया जाये।	प्रार्थीया वार्ड नं० 12 की निवासी है इसलिये उसका नाम वार्ड नं० 12 में जोडने की स्वीकृति प्रदान की जाती है	स्वीकृत
334	सुशील पुत्र रामलाल निवासी पिवरा की ढाणी	एतराज किया गया है कि उसका वोट वार्ड नं० 12 में दर्ज किया जाये।	प्रार्थीया वार्ड नं० 12 की निवासी है इसलिये उसका नाम वार्ड नं० 12 में जोडने की स्वीकृति प्रदान की जाती है	स्वीकृत

रिवाइजिंग अर्थोरिटी नगर परिषद एवं  
जिला राजस्व अधिकारी, रेवाडी।

प्रेषक

रिवाइजिंग अथॉरिटी नगर परिषद एवं  
जिला राजस्व अधिकारी, रेवाडी।

सेवा में

उपायुक्त, रेवाडी।

क्रमांक

/रीडर

दिनांक

विषय:- रिवाइजिंग अथॉरिटी के समक्ष प्रस्तुत एतराजों बारे रिपोर्ट (प्रोफोर्मा-ख)।

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के आदेश पृ0क्रमांक 399-05/चुनाव/2002/स्थानीय दिनांक 22.02.2018 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषय में अद्योहस्ताक्षरी को वार्ड नं0 5,6,7,12,19 व 20 का रिवाइजिंग अथॉरिटी नियुक्त किया गया था। निर्धारित अवधी में कुल 21 एतराज (प्रोफोर्मा-ख) प्राप्त हुये जिनका

निम्न अनुसार निपटान किया गया:-

क्र0 स0	प्रार्थी का नाम व पता सर्व श्री/श्रीमति	एतराज	निपटान	स्वीकृत/ अस्वीकृत
1	गोपाल कृष्ण एडवोकेट	एतराज किया गया है कि शिव कुमार पुत्र चिरंजी लाल उत्तम नगर का निवासी है लेकिन उनका वोट वार्ड नं0 6 में बना दिया गया है	बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार शिव कुमार पुत्र चिरंजली लाल उत्तम नगर वार्ड नं0 12 का निवासी है बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार एतराजकर्ता की वोट वार्ड नं0 12 में स्थानान्तरित किया जाये।	स्वीकृत
2	गोपाल कृष्ण एडवोकेट	एतराज किया गया है कि सतीश चन्द पुत्र मामचन्द उत्तम नगर का निवासी है लेकिन उनका वोट वार्ड नं0 6 में बना दिया गया है	बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार सतीश चन्द पुत्र मामचन्द उत्तम नगर का निवासी है बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार एतराजकर्ता की वोट वार्ड नं0 12 में स्थानान्तरित किया जाये।	स्वीकृत
3	गोपाल कृष्ण एडवोकेट	एतराज किया गया है कि निशा कुमारी पत्नि मनीष उत्तम नगर की निवासी है लेकिन उनका वोट वार्ड नं0 6 में बना दिया गया है	बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार निशा कुमारी पत्नि मनीष उत्तम नगर का निवासी है बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार एतराजकर्ता की वोट वार्ड नं0 12 में स्थानान्तरित किया जाये।	स्वीकृत
4	गोपाल कृष्ण एडवोकेट	एतराज किया गया है कि सुषमा कुमारी पुत्री सतीश चन्द उत्तम नगर की निवासी है लेकिन उनका वोट वार्ड नं0 6 में बना दिया गया है	बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार सुषमा कुमारी पुत्री सतीश उत्तम नगर का निवासी है बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार एतराजकर्ता की वोट वार्ड नं0 12 में स्थानान्तरित किया जाये।	स्वीकृत
5	गोपाल कृष्ण एडवोकेट	एतराज किया गया है कि शारदा देवी पत्नि सतीश चन्द चन्द उत्तम नगर की निवासी है लेकिन उनका वोट वार्ड नं0 6 में बना दिया गया	बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार शारदा देवी पत्नि सतीश चन्द चन्द उत्तम नगर की निवासी है बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार	स्वीकृत



17	धनीराम	एतराज किया गया है कि मन्दोदरी पत्नि बाबुलाल विकास नगर की निवासी थी लगभग 10-12 वर्ष पहले मकान बेचकर चले गये।	उपमण्डल अधिकारी प0रा0 की रिपोर्ट अनुसार मन्दोदरी पत्नि बाबुलाल मकान बेचकर चले गये। इनका नाम मतदाता सूची से काटा जाये।	स्वीकृत
18	धनीराम	एतराज किया गया है कि दर्शन सिंह पुत्र लालसिंह विकास नगर की निवासी था लगभग 10-12 वर्ष पहले मकान बेचकर चले गये।	उपमण्डल अधिकारी प0रा0 की रिपोर्ट अनुसार दर्शन सिंह पुत्र लालसिंह मकान बेचकर चले गये। इनका नाम मतदाता सूची से काटा जाये।	स्वीकृत
19	धनीराम	एतराज किया गया है कि संजय पुत्र दर्शन सिंह विकास नगर की निवासी था लगभग 10-12 वर्ष पहले मकान बेचकर चले गये।	उपमण्डल अधिकारी प0रा0 की रिपोर्ट अनुसार संजय पुत्र दर्शन सिंह मकान बेचकर चले गये। इनका नाम मतदाता सूची से काटा जाये।	स्वीकृत
20	हरीश शर्मा पुत्र रामोतार निवासी उत्तम नगर	एतराज किया कि प्रमिला यादव जो कि सीरियल नं0 440 वार्ड नं0 12 की मतदाता है वह जहां है वह क्षेत्र नगर परिषद सीमा से बाहर है	इस संबंध में नगर परिषद कर्मचारी भवन निरीक्षक के साथ मौका निरीक्षण किया गया प्रार्थी नगर परिषद की सीमा से बाहर रहता है इसलिये प्रार्थी का दावा स्वीकार किया जाता है और प्रमिला यादव का वोट काटने की सिफारिस की जाती है	स्वीकृत
21	हरीश शर्मा पुत्र रामोतार निवासी उत्तम नगर	एतराज किया कि पवन यादव जो कि सीरियल नं0 439 वार्ड नं0 12 का मतदाता है वह जहां है वह क्षेत्र नगर परिषद सीमा से बाहर है	इस संबंध में नगर परिषद कर्मचारी भवन निरीक्षक के साथ मौका निरीक्षण किया गया प्रार्थी नगर परिषद की सीमा से बाहर रहता है इसलिये प्रार्थी का दावा स्वीकार किया जाता है और पवन यादव का वोट काटने की सिफारिस की जाती है	स्वीकृत

रिवाइजिंग अर्थोरिटी नगर परिषद एवं  
जिला राजस्व अधिकारी, रेवाड़ी।